पत्र सं0–वैट–परिपत्र भाग–2–(08–09)– 774/0809077/वाणिज्य कर।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(वैट अनुभाग)
दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 31 ,2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर(जोन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

वैट कर प्रणाली में व्यापारियों द्वारा क्लेम की जा रही आई0टी0सी0 का सत्यापन नियमित रुप से होना अत्यन्त आवश्यक है। इसका कम्प्यूटर माड्यूल तैयार हो रहा है जिससे कम्प्यूटर के माध्यम से आई0टी0सी0 का स्वतः सत्यापन किया जाना सम्भव हो सकेगा तथा गलत क्लेम की गयी आई0टी0सी0 के मामले तुरन्त प्रकाश में लाये जा सकेंगे तथा उनके विरुद्व त्वरित कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। विभाग में इस व्यवस्था के आने में एक–दो सप्ताह का समय लग सकता है। अतः इस व्यवस्था के विभाग में लागू होने तक दिनांक 30–10–08 को प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक खंड के सबसे बड़े 20 व्यापारी जिन्होंने अधिक धनराशि का आई0टी0सी0 का दावा किया है उनको चिन्हित करते हुए क्लेम की गयी आई0टी0सी0 का अभियान चलाकर शत–प्रतिशत सत्यापन किया जाये । अतः प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में निम्न निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं:–

1– प्रत्येक खंड के 20 ऐसे व्यापारी जिन्होंने सबसे अधिक धनराशि का आई0टी0सी0 का दावा किया है उनको चिन्हित करते हुए क्लेम की गयी आई0टी0सी0 का अभियान चलाकर शत–प्रतिशत सत्यापन किया जाये। इस प्रकिया में केता व्यापारियों द्वारा रिटर्न के साथ दाखिल किये गये अनुलग्नक–ए की सूची का सत्यापन विकेता व्यापारियों द्वारा रिटर्न के साथ प्रस्तुत अनुलग्नक–बी की सूची से किया जाना है। अतः यदि विकेता व्यापारी स्थानीय हैं तो अनुलग्नक–ए का सत्यापन सम्बन्धित विकेता व्यापारियों के अनुलग्नक–बी से अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा बाहर के मामलों में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों को सूचना प्रेषित करते हुए उनके माध्यम से सत्यापन कराया जायेगा।

2– माह सितम्बर, 08 तक प्रस्तुत किये गये रुपपत्रों से उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उनके द्वारा क्लेम की गयी आई0टी0सी0 का सत्यापन का परिणाम मासिक समीक्षा की तिथि दिनांक 10–11–08 के समय प्रस्तुत किया जायेगा तथा उससे सम्बन्धित विवरण पत्र निम्न प्रारुप में मुख्यालय को दिनांक 11–11–08 तक मुख्यालय के संख्या अनुभाग को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगें ।

3– भविष्य में इसी प्रकार प्रत्येक माह ऐसे 20 व्यापारियों को चिन्हित करते हुए सत्यापन कराया जायेगा और उसकी सूचना मुख्यालय के संख्या अनुभाग को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपरोक्तानुसार प्रारुप में प्रेषित की जायेगी जिसकी समीक्षा प्रत्येक मासिक बैठक के दौरान भी की जायेगी।

4– जहॉ पर आई0टी0सी0 असत्यापित पायी जाती है वहॉ सम्बन्धित मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए धनराशि जमा कराने के साथ–साथ अर्थदंड की कार्यवाही भी सम्पन्न की जाये।

प्रारुप

सम्भाग का नाम	चिन्हित किये गये व्यापारियों की सं0	आ0टी0सी0 की धनराशि जो क्लेम की गयी	धनराशि जो सत्यापित की गयी	असत्यापित धनराशि	जमा कराई गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाये जाने पर उनके विरुद्व कार्यवाही की जायेगी।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी/श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म्स) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्भाग में पर्याप्त मात्रा में ई0ई0सिरीज के टिकट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
10. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
11. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
12. वैट अनुभाग को 50 प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
13. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।